वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या : ५२५ /XVII(1)-02/2006-10(01)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-02, देहरादून, 11 मई 2006

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-30 एवं 31 के आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-908/XXVII(1)/2006, दिनांक 24 अप्रैल 2006 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक मे समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित "अनुदान संख्या-30" के "आयोजनेत्तर पक्ष" की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार रूपये 2,98,00,000/- (रूपये दो करोड़ अठानवे लाख मात्र) एवं "अनुदान संख्या-31" के "आयोजनेत्तर पक्ष" की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार रूपये 24,94,000/- (रूपये चौबीस लाख चौरानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आबटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आबटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से "अनुदान संख्या-30 अथवा 31" तथा "आयोजनेत्तर" शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आबंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों [illegible]
के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।
11. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के "अनुदान संख्या–30 एवं 31" के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–115/XXVII(3)/2006, दिनांक 05 मई 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : ५२५ (1)/XVII(1)-01/2006–10(01)/2006, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तरांचल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

अनुदान संख्या–30 आयोजनेत्तर मतदेय

वाशीर्षक	:	2235–02–103–02–01
य शीर्षक	:	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
मुख्य शीर्षक	:	02–समाज कल्याण
शीर्षक	:	103–महिला कल्याण
शीर्षक	:	02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पैशल कम्पोनेन्ट प्लान
रेवार शीर्षक	:	01–निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण तथा उनके बच्चों की व्यवस्था हेतु अनुदान (जिला योजना)

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आबंटित धनराशि
-सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता	29800
योग	29800

(रूपये दो करोड़ अठानवे लाख मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

ीर्षक	:	2235–02–796–03–00
शीर्षक	:	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
ख्य शीर्षक	:	02–समाज कल्याण
ीर्षक	:	796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना
ीर्षक	:	03–निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान
र शीर्षक	:	00–

(धनराशि हजार रुपये में)

मानक मद	आबंटित धनराशि
हायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता	2494
योग	**2494**

(रुपये चौबीस लाख चौरानवे हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर
संख्या : 352- /XVII(1)-02/2006-10(01)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-02

देहरादून, 11 मई 2006

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-908/XXVII(1)/2006, दिनांक 24 अप्रैल 2006 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित "अनुदान संख्या-15" के "आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष" की वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार "आयोजनागत पक्ष" में रूपये 38,69,000/- (रूपये अड़तीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) एवं "आयोजनेत्तर पक्ष" में रूपये 31,39,23,000/- (रूपये इकतीस करोड़ उनतालीस लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आबंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में; सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से "अनुदान संख्या-15" तथा "आयोजनागत अथवा आयोजनेत्तर" शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।
11. बी.एम.-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के "अनुदान संख्या-15" के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-90/XXVII(3)/2006, दिनांक 05 मई 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 352-(1)/XVII(1)-02/2006-10(01)/2006, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तरांचल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल, उत्तरांचल।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तरांचल शासन।
10. नियोजन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

वित्तीय स्वीकृति / आयोजनेत्तर

संख्या : 425 /XVII(1)-02 / 2006–10(01) / 2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

विकलांगजन आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–02, देहरादून, 11 मई 2006

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन आयुक्त कार्यालय हेतु प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–908 / XXVII(1) / 2006, दिनांक 24 अप्रैल 2006 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–15" के "आयोजनेत्तर पक्ष" में विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन आयुक्त कार्यालय हेतु रूपये 19,76,000 / – (रूपये उन्नीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आबंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य / लघु / उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से "अनुदान संख्या–15" तथा "आयोजनेत्तर" शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आबंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. यदि किसी अधिष्ठान / योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की अवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय–सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।
11. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–73/XXVII(7)/डी.डी.ओ./2005, दिनांक 01 दिसम्बर 2005 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की 'अनुदान संख्या–15' के 'आयोजनेत्तर पक्ष' में संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–116/XXVII(3)/2006, दिनांक 05 मई 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 425 (1)/XVII(1)-02/2006–10(01)/2006, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तरांचल।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

: 2235–02–101–11–00

: 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

शीर्षक : 02–समाज कल्याण

: 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

: 11–विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम

र्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आबंटित धनराशि
	660
भत्ता	278
यय	20
त्तरण यात्रा व्यय	30
त्ते	73
	20
नय व्यय	10
देय	50
र/जलप्रभार	25
सामग्री और फार्मों की छपाई	50
ीन पर व्यय	30
ों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50
ायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10
ा, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	150
न	50
न, बिक्री और विज्ञापन व्यय	50
य व्यय विषयक भत्ता आदि	10
त्सा व्यय प्रतिपूर्ति	20
ण व्यय	10
टर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50
ई वेतन	330
योग	1976

(रूपये उन्नीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव।